

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 04.04.2024

जनपद –आजमगढ़

01- चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना- दिनांक- 01.04.2024 को वादी मुकदमा जयप्रकाश यादव पुत्र बिरजू यादव ग्राम ओरा, थाना- कप्तानगंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त मंदीप निषाद पुत्र राजेश निषाद ग्राम बड़सरा आइमा चकिया थाना कप्तानगंज द्वारा दिनांक- 21.03.2024 को कोइनहा बाजार से वादी की साउण्ड मशीन व इक्सचेन्जर को चोरी कर लिया है। तथा विवान पुत्र बाबूलाल का हारन मशीन व कैलाश निषाद पुत्र स्व0 रामकेश निषाद बड़सरा आइमा थाना-कप्तानगंज का 01 जनरेटर चोरी कर लिये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-82/24 धारा- 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 वंशराज सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त मंदीप निषाद ने विपिन निषाद पुत्र हरिद्वार निषाद निवासी ग्राम बैसपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष के साथ मिलकर चोरी किया है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.04.2024 को उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विपिन निषाद पुत्र हरिद्वार निषाद निवासी ग्राम बैसपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को कोईनहा मोड़ से 03 डीजे मशीन के साथ व उसके निशानदेही पर जनरेटर बरामद कर अभियुक्त को समय करीब 17.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02- दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना- दिनांक 31.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त घुरहू चौहान पुत्र खुद्दी चौहान निवासी ग्राम बैजावारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने वादिनी की पुत्री को खाद्य सामग्री का लालच देकर बहला फुसला कर दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 119/2024 धारा 376AB भादवि0 व 5M/6 पाक्सों एक्ट पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-दिनांक 03.04.2024 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त घुरहू चौहान पुत्र खुद्दी चौहान निवासी ग्राम बैजावारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को गोसाईं बाजार तिराहा से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03- अवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 03.04.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त अलतमश S/O मुबारक R/O चितारामहमुदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को बिछिया पुलिया से 01 तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोरा

04- दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना- दिनांक 02/04/2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामनाथ निवासी मानपुर थाना फुलपुर आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा वादिनी द्वारा शादी के लिये पूछने पर सुनील द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-160/2024 धारा 376/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 03.04.2024 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामनाथ निवासी मानपुर थाना फुलपुर आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को माहुल मोड से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05- चोरी की घटना में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस

अभिरक्षा में; चोरी का सामान बरामद ।

पूर्व की घटना- दिनांक 02.04.2024 को आवेदक मोती विश्वकर्मा पुत्र स्व. फूलचन्द विश्वकर्मा निवासी ग्राम हटवाँ खालसा थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी दुकान कस्बा मेंहनगर वार्ड नं0 8 आजाद नगर से दिनांक 31-03-2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर दुकान से गैलेन्डर मशीन, ड्रील मशीन आदि सामान चुरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 119/24 धारा 380/457 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- चोरी की घटना के अनावरण व अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह के नेतृत्व में 01 टीम का गठन किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1. मिल्लत आजमी पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी वार्ड नंबर 7 जवाहर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व 2. एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 03.04.2024 को उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मिल्लत आजमी पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी वार्ड नंबर 7 जवाहर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व 2. एक बाल अपचारी को अक्षैबर पुलिया से समय करीब 13.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी गये 01 गैलेन्डर मशीन, 01 कटर चार्जर बरामद किया गया।

बरामदगी- 01 गैलेन्डर मशीन, 01 कटर चार्जर

06- दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।

पूर्व की घटना- दिनांक 03.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री के साथ अभियुक्तों 1. सौरभ पुत्र रामधारी निवासी जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व 2. बाल अपचारी ने दुष्कर्म किया और उसका विडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिये तथा मेरी पुत्री को धमकी दिये कि अगर अपने घर वालों या किसी को बताया तो तुम्हें व तुम्हारे पूरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 138/24 धारा 376 (D)(B)/506 भादवि 5(G)(M)/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम 1. सौरभ पुत्र रामधारी निवासी कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2. बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक मोतीलाल पटेल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 03.04.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. सौरभ पुत्र रामधारी निवासी कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व 2. बाल अपचारी को शाहपुर पुल से समय करीब 14:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

07-आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 418 वाहनों का चालान ।

दिनांक- 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 105 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1909 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 418 वाहनों का चालान किया गया।

08- हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माना ।

➡ दिनांक-19.03.2018 को वादी मुकदमा जुही बानों पत्नी स्व० बबलू खां निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया थी कि विपक्षी 1. खालिद मास्टर पुत्र मोबिन खां, 2. लुकमान पुत्र स्व० अब्दुल दाही समस्त निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा घर में घुसकर हत्या की घटना कारित की गयी थी।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निजामाबाद पर मु०अ०सं०- 23/2018 धारा 302/34/323/452 भादवि० पंजीकृत किया गया था।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 02.04.2024 को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं०- 7, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. खालिद मास्टर पुत्र मोबिन खां, 2. लुकमान पुत्र स्व० अब्दुल दाही समस्त निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को **आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

जनपद –मऊ

1. साइबर अपराध से संबंधित आनलाइन ठगी के 89400 रुपये पीड़ित के खाते में कराया गया वापस ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए आनलाइन ठगी के शिकार पीड़ित अभिषेक मधुकर पुत्र रामसरन राम निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 89400 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयासों के उपरांत उनके खाते में वापस कराया गया। पीड़ित द्वारा प्रफुल्लित मन से मऊ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। साइबर अपराध किसी भी प्रकार किसी के साथ घटित हो सकता है। जागरूक रहकर ही इस अपराध से बचा जा सकता है। अतः किसी प्रलोभन न आये तथा अनजान लिंक पर क्लिक तथा किसी को भी ओटीपी इत्यादि अन्य जानकारियां किसी से साझा कदापि न करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

बरामदकर्ता टीम-

नि० प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी, निरीक्षक अपराध हेन्द्र सिंह, क०आ० नितेश तिवारी, म०का० शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी आदि शामिल रहे।

2. 02 अवैध तमन्चा व कारतूस (प्रतिबंधित बोर) के साथ 03 शातिर गिरफ्तार ।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 03.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बवाला पुलिया के पास से अभियुक्त अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र विश्वकर्मा निवासी नवादा दुबारी मोड थाना मधुबन मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 303 बोर (प्रतिबंधित बोर) एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया, दिनांक 02.04.2024 को नहर पुलिया सिसवा के पास से अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रामप्रवेश निवासी सिसवा बलुवा थाना मधुबन मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 303 बोर (प्रतिबंधित बोर), एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर एवं नाला नहर पुलिया बट्टी का पुरा के पास से अभियुक्त गुडडू चौहान पुत्र जयनाथ चौहान निवासी सिसवा बलुवा थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 10 अदद 9एमएम जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 67,68,69/2024 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र विश्वकर्मा निवासी नवादा दुबारी मोड थाना मधुबन मऊ।
2. आशीष यादव पुत्र रामप्रवेश निवासी सिसवा बलुवा थाना मधुबन मऊ।
3. गुडडू चौहान पुत्र जयनाथ चौहान निवासी सिसवा बलुवा थाना मधुबन मऊ।

बरामदगी-

1. 02 अवैध तमन्चा 303 बोर। (प्रतिबन्धित बोर)
2. 10 अवैध कारतूस। (9 एमएम)
3. 02 कारतूस 303 बोर। (प्रतिबन्धित बोर)

जनपद – बलिया

2 थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

दिनांक 03.04.2024 को थाना नगरा पुलिस टीम के उ0नि0 राकेश सिंह मय हमराह हे0का0 सत्यनारायण यादव, हे0का0 राजकुमार पटेल के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित/वारण्टी/अभियुक्त/संदिग्ध वाहन में क्षेत्र में मामूर थे कि दौराने जांच अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी ग्राम सरयां बगडौरा थाना नगरा जनपद बलिया को एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ विश्वनाथपुर नहर पुलिया बहद ग्राम खारी विश्वनाथपुर से समय 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर का बरामद किया गया । अभियुक्त राकेश यादव उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय बलिया रवाना किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 82/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगरा बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राकेश यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी ग्राम सरयां बगडौरा थाना नगरा जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी विवरण-

1. एक अदद तमन्चा .315 बोर
2. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 82/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया
2. मु0अ0सं0 244/23 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11(1) (घ) पशु कुरता अधिनियम थाना नगरा बलिया
3. मु0अ0सं0 245/20 धारा 120बी 147,148,149,302 भादवि थाना नगरा बलिया